न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात।

<u>सत्र वाद संख्या– 1336/2023</u>

सरकार बनाम समीम

धारा–3/25 आयुध अधिनियम

अ0सं0– 11/2023

थाना– मूसानगर जिला कानपुर देहात

27.1.2026

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त समीम की ओर से जरिये डिप्टी एल0ए0डी0सी0 सुश्री चन्दा चौबे द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 479 बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त वाद में अभियुक्त है एवं प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.12.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है एवं प्रार्थी/अभियुक्त लगभग 3 वर्षों की सजा पूरी कर ली है जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 479 बी0एन0एस0 की पात्रता पूरी कर ली है। अतः धारा 479 बी0एन0एस0एस0 का लाभ देकर रिहा करने की कृपा की जाए।

प्रार्थना पत्र पर जिला कारागार से आख्या आहूत की गयी। कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात के पत्रांक 1812/यू0टी0/2025 के अनुसार विचाराधीन बंदी समीम पुत्र सफी मोहम्मद निवासी कोरो, थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर अ0सं0 11/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात के वाद का विचारण माानीय न्यायालय के समक्ष लम्बित है। कारागार अभिलेखानुसार उक्त विचाराधीन बंदी दिनांक 10.2.2023 को उपरोक्त वर्णित वाद में कारागार में दाखिल हुआ था। बंदी द्वारा इस वाद में दिनांक 24.12.2025 तक कुल 02 वर्ष 10 माह 13 दिन की अवधि व्यतीत की जा चुकी है। अभिलेखानुसार उक्त बंदी वर्तमान में विषयाकिंत वाद के अतिरिक्त किसी भी सिद्वदोष/विचाराधीन वाद के कारागार में निरूद्ध नहीं है। आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बी0एन0एस0एस0 के प्रस्तर 479 में अंतर्निहित प्राविधानुसार–जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास एक दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो विधि अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गयी है। आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय, द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

यह भी आख्या में अंकित किया गया है कि कारागार पर उपलब्ध

अभिलेखानुसार विषयांकित बंदी अ0सं0 10/2023 धारा 307 भा0दं0सं0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम मूसानगर के विचाराधीन वाद में दिनांक 24.9.2024 का जमानत पर रिहा कर अन्य वादों में रोका गया। तथा अ0सं0 54/2023 धारा 3 (1) यू0पी0गैंगे, एक्ट थाना मूसानगर के वाद में माननीय दण्डन न्यायालय द्वारा प्रदत्त 2 वर्ष कारावास की सजा काटकर बंदी दिनांक 3.12.2025 को अपने सिद्वदोष वाद से भी रिहा किया गया। वर्तमान में बंदी पर मात्र विषयांकित वाद अ0सं0 11/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मूसानगर, जिला कानपुर देहात का वाद ही लम्बित है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्राविधानित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास एक दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो विधि अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गयी है। आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय, द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और (अतीत में किसी अपराध के लिए दोषसिद्व नहीं किया गया है) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक तिहाई विस्तार की अवधि तक निरोध रह चुका है।

परन्तु यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्व किए जायेंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंधपत्र के बजाय जमानत पत्र पर उसे छोड़ देगा।

परन्तु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी मामले में निरूद्व नहीं रखा जाएगा।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आयुधि अधिनियम के अपराध के अंतर्गत आरोप है। और धारा 25(1)B(a) आयुध अधिनियम में तीन वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात की आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त 10.2.2023 को उपरोक्त वर्णित वाद में कारागार में दाखिल हुआ था। बंदी द्वारा इस वाद में दिनांक 24.12.2025 तक कुल 02 वर्ष 10 माह 13 दिन की अवधि व्यतीत की जा चुकी है। इस प्रकार दिनांक

10.2.2023 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि दिनांक 12.1.2026 तक आवेदक/अभियुक्त की कारागार में निरूद्ध की अवधि 2 वर्ष 11 माह 2 दिन की सजा काट चुका है। इस प्रकार जेल अधीक्षक की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त अधिकतम सजा के करीब तक की सजा काट चुका है। जेल अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात की आख्यानुसार उक्त बंदी पर वर्तमान में विषयाकिंत वाद के अतिरिक्त किसी भी सिद्व दोष/विचाराधीन वाद के कारागार में निरूद्ध नहीं है।

अतः धारा 479 भरतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आलोक में आवेदक अभियुक्त समीम को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः आवेदक/अभियुक्त/बंदी समीम को उसके द्वारा धारा 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पचास हजार रूपये का जमानती तथा व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर देहात को प्रेषित की जाए।

दिनांक 27.1.2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात।
आई0 डी0 नं0 UP 6042

Digitally signed by RAJAT SINHA
Date: 2026.01.27 15:53:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court